मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–70/2019

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–वादी–

बनाम

1. रामलाल पुत्र गणेशा जाति जाट निवासी सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

2. कालु पुत्र उमा (मृतक नाम कल्मजन दिनांक 04.10.2023)

2/1. विकास पुत्र रामकुमार
2/2. दिनेश कुमार पुत्र सैंस्करण } जाति जाट निवासी सुरावाली तहसील तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

3. सुल्तान, हरीराम, गोविन्द, पृथ्वी, काशीराम, श्योलाल, ओमप्रकाश पिसरान चेतराम जाति जांगिड़ निवासी सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

4. जैसा, किशना पुत्रगण नत्थु जाति जांगिड़ निवासी सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

5. सरस्वती पत्नी मनफुल जाति जाट निवासी सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम की धारा 136 व आरटीए धारा 88 बाबत् दूरूस्त करने राजस्व रिकार्ड बरबिनाय साक्ष्य हर किस्म

डिक्री

दिनांक :– 06/11/2025

राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा एवं प्रतिवादी 2/1,2/2 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल पारीक इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर वाद पत्र वादी बैयनामा, अन्य खातेदारों का रकबा दूसरे चकों में जाने एवं कब्जा काश्त रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अन्तर्गत 136 एलआरएक्ट एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत साबित ... से स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक 7 एचडीपी के खाता संख्या 15/249 की कुल 2.264 है अ.क. व प.न. 15/250 की 6.325 है. अ.क. इस प्रकार दोनों पत्थरों की कुल [illegible] है. अ.क. भूमि का प्रतिवादी संख्या 2/1 विकास कुमार पुत्र रामकुमार व 2/2 दिनेश कुमार पुत्र सैंस्करण जाति जाट निवासीगण सुरांवाली को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 5 का नाम कलमजन किये जोने के आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:23:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा अनकमाण्ड/नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/11/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी एवंम
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.30 16:23:51 IST
Reason: SelfAttested